राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, दिनांक–१० अक्टूबर, १९५२

—::○::0::○::—

सदन का कार्य ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

——::o::——

तारांकित प्रश्न

प्रश्न नं० ५८.

श्री अध्यक्ष प्रश्नः—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(1) Whether the repairs of the Government High School at Rajgarh (Bikaner Division) which had fallen into dangerous condition have been carried out ?

(2) The roof on the Central Hall of the Government High School at Raisinghnagar (Bikaner Division) has since been put ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—सरकार हाई स्कूल राजगढ़ की मरम्मत अभी तक नहीं करवा सकी। वह कमरे जिनको पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने अनसेफ घोषित किया था काम में नहीं लाये जा रहे हैं। जिन सेठ साहब ने उस बिल्डिंग को डोनेट किया था, रिपेयर्स कराने के लिए सरकार को कहा था वो रिपेयर्स खुद करवाना चाहते थे। पी. डब्ल्यू. डी. इस बात के लिए राजी नहीं थी। अब पी. डब्ल्यू. डी. रजामन्द हो चुकी है कि सेठ साहब इस इमारत की मरम्मत करवा सकते हैं। इस बिल्डिंग की मरम्मत जल्दी करवा दी जायगी।

(२) रायसिंह नगर स्कूल की छत इस साल के बजट में फंड न होने के कारण नहीं करा सके। अगले साल के बजट में इसका प्रोविजन कर इसको पूरा करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या यह सच बात है कि इन कमरों में जिनको बन्द कर दिया गया है हाल ही में एक विद्यार्थी के काफी चोट आयी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं ।

श्री जसवन्तसिंह:--क्या यह बात सरकार के लिए सराहनीय है कि जिसने क बिल्डिग को बनाकर सरकार को सौंप दिया तो फिर आयंदा उसकी मरम्मत आदि की जिम्मेदारी सरकार पर ही है या उस व्यक्ति पर जिसने बनवाकर दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--यह बात सराहनीय तो नहीं है। यह बिल्डिग करीब चार साल पहले सरकार को दी थी; तभी से उसमें एक प्रकार की खराबी पैदा हो गई थी ।

श्री जसवन्तसिंह:--मुझे अफशोस है कि माननीय मंत्री कहते हैं कि यह बिल्डिग चार साल पहले सरकार को दी गई थी; मैंने खुद ने करीब सात साल पहले इस बिल्डिग का उद्घाटन किया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा:--यह कोई सवाल नहीं है; यह तो इनफोर्मेशन है ।

श्री जसवन्तसिंह:--क्या कोई बिल्डिग ६-७ साल में रिपेयर्स करने के काबिल नहीं हो जाती ? क्या उसमें मामूली टूट-फूट नहीं हो जाती है ?

श्री एच. के. व्यास:--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विषय में वहां स्कूल के छात्रों ने हड़ताल भी की थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है कि छात्रों ने बिल्डिग की मरम्मत करवाने के लिए हड़ताल की थी ।

श्री एच. के. व्यास:--क्या माननीय मंत्री को हड़ताल के संबन्ध में कोई नोटिस मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--मेरे पास तो इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है ।

श्री एच. के. व्यास:--आपके पास नहीं तो आपके विभाग में आया होगा ।

श्री अध्यक्ष:--It includes that.

श्री जसवन्तसिंह:--प्रश्न ५८ के "बी" भाग के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं कि यह कितने साल स वगैर छत के पड़ी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--मुझे इस बात का पूरा ज्ञान तो नहीं है; इस बात के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जसवन्तसिंह:–स्कूल की बिल्डिंग बनाये हुए करीब ५-६ साल हो गये; यह तभी से बगैर छत के है। पट्टियें अभी तक वहां पर पड़ी हुई हैं, सरकार को सिर्फ छत ही लगाना है क्या सरकार के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है?

श्री चन्दनमल वैद्य:–इन्फोर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या सरकार को यह स्वीकार है कि उस छत के लिए हम पब्लिक से चन्दा इकट्ठा करके लगादें?

श्री नाथूराम मिर्धा:–अगले साल के बजट में प्रोविजन करके इसकी व्यवस्था की जायगी। यदि जनता चन्दा करके इस कार्य को करदे तो बहुत खुशी की बात है।

श्री जसवन्तसिंह:–बड़ी खुशी की बात है। हम चन्दा करके इस स्कूल पर छत बना देंगे जबकि सरकार इस कार्य में उदासीनता बरत रही है। हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं।

श्री चन्दनमल वैद्य:–It is not a question.

श्री सन्तोषसिंह:–इस प्रकार टूटे हुए छत के कमरे राजस्थान में और कितनी स्कूलों के हैं।

श्री अध्यक्ष:–Vague.

Question No. 59

Shri Jaswant Singh:—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(1) Whether it has come to the notice of the Government that in Tehsil Head Quarter Lunkaransar there is no proper School building?

(2) Whether it is true that before integration a sum of Rs. 29,000-was provided in the budget of former Bikaner State for the construction of the School at Lunkaransar?

(3) What has happened to that amount?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा-मंत्री):–सेठ हनूतमल बोथरा ने कृपा करके इस स्कूल के लिए ४ कमरे बनवाने के लिये पैसा दिया था। ४ क्वाटर्स बन चुके हैं। इसके अलावा ८ क्लास रूम्स जो ८ क्लासों के लिये काफी हैं। इस स्कूल के लिये बीकानेर

Page No.4

सरकार के समय ९०००) रु० का प्रोविजन रखा गया था न कि २९००० रु० का लेकिन वह प्रोविजन काम में नहीं लाया जा सका था। यह ४६–४७ की साल में रखा गया था और वह रुपया लेप्स हो गया था।

श्री जसवन्तसिंह:--क्या सरकार जितना रुपया लगाना चाहती है उसमें एडिशन करना जरूरी नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–अभी जो कुछ प्रोविजन बिल्डिंग के लिये है वह काफी है।

प्रश्न संख्या ६०

Shri Abani Kumar:—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

- (i) What is the total amount collected by the Tehsils uptil now in the form of District Board cess from the District Sawai Jaipur ?
- (ii) Whether these funds have been utilised for rural welfare ?
- (iii) What works have been undertaken in each Tehsil comprising the District Sawai Jaipur ?
- (iv) If so, what is the Tehsil-wise expenditure ?
- (v) Why a nominated District Board representing only the party in power is still functioning ?
- (iv) When the elections to the District Board are going to be held ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन-मन्त्री):–यद्यपि यह प्रश्न रेवेन्यु मिनिस्टर को एड्रेस किये गये हैं लेकिन इसका तालुक मुझसे है इसलिये मैं जवाब पेश करता हूं। सेस से कुल आय अब तक ६,६७,३५९ रु० १२ आ० ९ पा० है।

(२) जबाब हां में है।

(३) औषधालय, प्राइमरी स्कूल्स, वाचनालय, प्रसूति–गृह आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर चल रहे हैं।

(४) यह खर्चा इस प्रकार है:–

स्वास्थ्य में ४,७०० रु० मासिक, स्कूलों और लाइब्रेरियों में ९,४१० रु० मासिक, पंचायतों की सहायता में ८१९ रु० २ आ० ३ पा० मासिक खर्च होता है और इस तरह कुल १४,९२९ रु० ९ आ० ९ पा० माहवार कुल खर्च है।

(५) यह बात गलत है। बोर्ड में गैर कांग्रेसी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

(६) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल सदन म पेश होने वाला है। उसके पास होने के बाद चुनाव शुरू होंगे।

एक सदस्यः—उन गैर कांग्रेसियों के नाम क्या क्या हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं?

श्री रामकरण जोशीः—पूरे नाम तो मालूम नहीं हैं पर एक श्री मथुरेशबिहारी माथुर का नाम मालूम है जो गैर कांग्रेसी हैं।

श्री मानसिंहः—क्या यह सही है कि कांग्रेसी सदस्यों की संख्या उक्त बोर्ड में ज्यादा है।

श्री रामकरण जोशीः—मुमकिन है उनमें से कांग्रेस सदस्य अधिक हों।

श्री मानसिंहः—क्या यह सही है कि मथुरेशबिहारी माथुर को जिस समय नोमीनेट किया गया था उस समय वे कांग्रेस के सदस्य थे और बाद में अलग हुए थे?

श्री रामकरण जोशीः—यह बात मुझे मालूम नहीं है।

श्री मानसिंहः—इस प्रश्न के पार्ट ४ में यह पूछा गया है कि जो खर्चा सरकार ने किया है उसके आंक तहसीलवाइज बताये जावें। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री रामकरण जोशीः—आप तहसील वाइज सुन लीजियेः—

तहसीलों का नाम		शीर्षकों के नाम			
		स्वास्थ्य	स्कूलें तथा शिक्षा पुस्तकालय	पंचायतों को सहायता	योग
१. जयपुर	..	४७०)	७६०)	..	१२३०)
२. आमेर	..	४७०)	८६२॥)	५७०।=)॥	१६३२॥।=)॥
३. जमवारामगढ़	..	४७०)	७६०)	..	१२३०)
४. बैरठ	..	४७०)	७७२॥)	..	१२४२॥)
५. कोटपुतली	..	४७०)	७६०)	..	१२३०)
६. फुलेरा	..	४७०)	८३२॥)	..	१३०२॥)
७. फागी	..	२३५)	८३२॥)	..	१०६७॥)
८. चाकसू	..	२३५)	७६०)	..	९९५)
९. दौसा	..	४७०)	७६०)	२४८॥।)।	१४७८॥।)।
१०. लालसोट	..	४७०)	७६०)	..	१२३०)
११. सिकराय	..	२३५)	७६०)	..	९९५)
१२. बासवा	..	२३५)	७६०)	..	९९५)
योग	..	४७००)	९४१०)	८१९=)॥।	१४९२९=)॥।

श्री मानसिंह:—क्या सरकार को यह मालूम है कि जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज, जब कायम हुए थे तब यह तय हुआ था कि जिन कस्बों में म्युनिसिपेलिटियां हैं वहां के लोग बोर्ड के सदस्य नहीं बनाये जाएंगे; इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को सदस्य बनाया गया ?

श्री रामकरण जोशी:—मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। चुनाव होगा तो खड़े होने वालों को इसका ख्याल रहेगा।

श्री भैरोसिंह:—क्या सरकार ने सदस्यों को नोमिनेट (नामजद) करते समय इस बात का ध्यान रखा है ?

श्री रामकरण जोशी:—नोमिनेट करते समय सरकार को इस प्रकार का ध्यान रखने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैरूसिंह:—किस पोलीसी के आधार पर नोमिनेट किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी:—मैं समझता हूं नोमिनेट करते समय किसी प्रकार की पोलिसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह:—जयपुर स्टेट में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज के मेम्बर नियुक्त किये गये थे तो क्या उस समय किसी आधार को सामने रख कर ऐसा किया गया ?

श्री रामकरण जोशी:—अब जयपुर—जोधपुर की बात नहीं करनी चाहिये; अब राजस्थान बन गया है उसी के बारे में बात करनी चाहिये।

श्री मानसिंह:—जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट लाग हुआ था उस समय से नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री में रद्दोबदल के बाद उनको भंग करके बोर्डो के नये सदस्य नोमिनेट किये गये; इस की क्या वजह है ?

श्री रामकरण जोशी:—किसी वजह से ही ऐसा किया गया होगा। शायद काम अच्छी तरह से चलाने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया हो।

श्री मानसिंह:—क्योंकि उसमें मंत्री महोदय और मैं दोनों ही उसके सदस्य थे इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री रामकरण जोशी:—दोनों ही सदस्य थे—इससे क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६१

Shri Abani Kumar:—Will the Home Minister be pleased to state.—

(*i*) What are the facts regarding the recent Kishangarh firing ?

(*ii*) Whether the Government intends to hold a Judicial inquiry into the matter ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–

(i) On the occasion of the Balaji fair held on 2nd September 1952, the two village groups of devotees, viz. Mohanpura party and Samvatsar party became suddenly rowdy at about 5 P. M. when the fair was almost over. They started the stone--throwing and looting of shops. The Extra Magistrate tried to stop them by resorting to a mild lathi charge, but this had no effect. Ultimately, to save the property of the people of the locality from loot and further consequences, firing was resorted to, as a result of which three persons were killed and eight injured. The mob then dispersed.

(ii) No. An executive enquiry was held by the District Magistrate, Jaipur, who recorded a finding that the firing was justified and only minimum force was used.

श्री देवीसिंह:–क्या यह सही है कि उन दिन कंस्ट्रक्शन के लिये सरकार ने पत्थर वहां पर डलवाये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इन्तजाम नहीं किया गया था।

Shri Abani Kumar:—Are the Government prepared to lay down on the table of the House a copy of that Report ?

Shri Tika Ram Paliwal:—It was a Departmental enquiry and it is not necessary to lay the report before the House.

Shri H. K. Vyas:—Does the Government not consider it necessary that when the life of the people is involved, it is always desirable to have judicial enquiry ?

Shri Tika Ram Paliwal:—It is not always necessary.

Shri Jai Narain Vyas:—Will the Hon'ble Chief Minister say whether certain Police officials were injured on that occasion ?

Shri Tika Ram Paliwal:—Yes. One officer of the Police received injuries.

Shri H. K. Vyas:—Is the Government aware that though there have been cases of mob firing in the past, no such incident has yet taken place ?

Mr. Speaker:—Order ! Order ! Does not arise.

62. (41/s) Shri Abani Kumar, M. L. A.—Will the Home Minister be pleased to state:—

(*i*) What action has been taken by the Government to provide insurance policies to the officers and men of the Anti-Dacoity Forces ?

(*ii*) How many dacoities were committed during the period—1st May to 30th September, 1952 ?

(*iii*) How many dacoits were arrested ?

(*iv*) How much loss was sustained by the public during this period ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—

(i) No action has been taken by the Government to provide insurance policies to the officers and men of the Anti-Dacoity Force. They are entitled to gratuity and extraordinary pension. If injured and in case they are killed, their dependents are entitled to pension according to Civil Service Regulations. The question of liberalising these rules with a view to providing allowances for education of children and marriage of daughters is under active consideration of the Government.

(ii) Total number of dacoities committed from 1st May, 1952, to date is 123.

(iii) 180 dacoits were arrested and 20 shot dead during the period from 1st May to 15 September, 1952.

(iv) A loss of Rs. 4,80,503 was reported to have been sustained by the public during the period from 1st May to 24th September, 1952. Some of this looted property was recovered, but the total figure is not available.

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३

63. (61/S) Shri Abani Kumar M. L. A. *Div. No. 1*—Will the Minister for Commerce and Industries be pleased to state whether it is a fact that fifty wagons of salt from Sambhar were sent to Bihar.

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह प्रश्न माननीय कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर से पूछा गया है किन्तु उसका सम्बन्ध मुझसे है और मैं ही उसका जवाब दूंगा ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा यह उत्तर है कि सांभर से बिहार को कोई नमक नहीं भेजा गया ।

श्री अवनि कुमार:—तो कहां से भेजा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह सत्य है कि फुलेरा और बांदीकुई से ५० वेगन नमक बिहार को भेजा गया था ।

श्री अवनि कुमार:—फुलेरा और बांदीकुई में तो नमक पैदा नहीं होता ।

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने यह नहीं कहा था कि बांदीकुई और फुलेरा में नमक पैदा होता है । मैंने तो यह कहा था कि फुलेरा और बांदीकुई से बिहार को नमक भेजा गया । यह नमक डीडवाना का था ।

श्री मानसिंह:—क्या वजह थी कि यह नमक बिहार को भेजा गया, जब कि राजस्थान में ही नमक मंहगा मिल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—भारत सरकार ने एड-हॉक कोटा ग्रान्ट किया था और भारत सरकार ने उसे कोटा के लिए मंजूर किया था । कोटा वालों ने कहा कि सांभर का नमक भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह तो डीडवाना साल्ट था और वह कोटा में नही चल सकता । डीडवाना का नमक झुंझुनू भेजा गया और सांभर का नमक कोटा भेजा गया । जब झुंझुनू वालों ने कहा कि डीडवाना साल्ट वहां भी नहीं बिकता तो गवर्नमेन्ट ने कहा कि राजस्थान में कहीं लेजा कर बेचा जाय और यदि राजस्थान में कहीं नहीं बिकता है तो उसका पाउडर करके बिहार भेजा जा सकता है ।

Shri H. K. Vyas: —Mr. Speaker, sir. Excuse me for raising this point again and again. Till yesterday I tried to get answers to questions which were not replied because of lack of time on the 7th. Their answers should have been placed on the table of the House according to Rule 29. I waited for the answers in the House till yesterday. I have also taken the precaution of going one step forward and made enquiries in the Notice office

and had expected the answers will be given. However, the answer has not been laid on the table of the house.

Will you kindly give a ruling on this point and let me know what is going to happen to that question.

Mr. Speaker:—There is no occasion to give any ruling on the point. The Rules of Business are quite clear and whatever replies have been received they have been placed on the table of the House and certain questions have not been replied at all. There is another provision in the Rules of Business to bring a discussion over those.

(विराम)

अविश्वास का प्रस्ताव

The questions are over and I have received notice in my office, a notice of motion of no-confidence in the present Ministry. Mr. Inder Nath Modi will move the motion.

Shri Inder Nath Modi:—Mr. Speaker, Sir.....(Interruption).

Mr. Speaker:—......and this will be asking the leave of the House in order to move it.

Shri Inder Nath Modi:—Mr. Speaker, Sir, I beg leave to make the following motion.

"In the opinion of this House, the Ministry has lost the confidence of the House."

I crave leave to move the motion.

Shri Gulab Chand Kasliwal:—On a point of order, Sir. I want a ruling from the Chair. The Congress Ministry as it is constituted today has already resigned. I want to know against which Ministry this motion is directed.

Shri Inder Nath Modi:—On a point of information, Sir. May I know whether the resignation submitted by the Ministry, as has been alleged, has been accepted by the Rajpramukh, before we proceed further ?

Shri Tika Ram Paliwal:—Mr. Speaker, Sir. The position is that the present Ministry has submitted its resignation on the 8th afternoon. The Rajpramukh has promised to accept this resignation and he has only asked the present Ministry to carry on the administration till he is able to form another Ministry.

Shri Inder Nath Modi:—It is obvious, Sir, therefore, that this resignation of the Ministry has not been accepted. According to what, the Leader of the House has himself said, the Rajpramukh has promised to accept the resignation. That does not mean acceptance of the resignation. In any case, this point should not stand in the way of the leave being granted to me.

Shri Tika Ram Paliwal:—Mr. Speaker, Sir. I would further clarify the position. The resignations are going to be accepted in a day or two and this Ministry is very eager to lay down office at the earliest moment. If it is the pleasure of the Opposition or of this House to bring this motion to inflict insult and indignations at this Ministry it is for the House to consider.

I have no more to say.

Mr. Speaker:—There is no question of privilege. I have given my ruling. The question of privilege does not arise at all. It is only a question of leave to make the motion of no-confidence.

Shri Gulab Chand Kasliwal:—On a point of order, Sir......

Mr. Speaker:—No discussion can be had on the point of order.

श्री जयनारायण व्यास:--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपसे दो शब्द कहना चाहता हूं। स्थिति यह है कि मिनिस्ट्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया है और राजप्रमुख, जिस पार्टी का बहुमत है, उसके नेता से वातचीत भी कर चुके हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी मैं अपने मित्र, विरोधी पक्ष के उपनेता, श्री इन्द्रनाथ मोदी की इस बात को एक सकिन्ड के लिए स्वीकार करता हूं कि अभी स्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और एक दफा उनके संतोष के लिए कन्सीड-कर दूं कि उनका नो-कोन्फिडेन्स का मोशन पास भी हो जाय तो भी उस हालत में यही होगा कि जब तक दूसरी व्यवस्था या दूसरी मिनिस्ट्री नहीं बनेगी तब तक राजप्रमुख इसे ही, इसी के द्वारा काम चलान को कहेंगे। वह भी चार पांच दिन काम चलाती ही रहेगी। फिर दूसरे दिन एक आदमी और आजायंगे। एक माननीय सदस्य और अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री का त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया है। अत: स्थिति यह है कि त्याग-पत्र दे दिया गया है और राजप्रमुख साहव ने इस मिनिस्ट्री को यह कहा है कि उनके त्याग-पत्र तब स्वीकार किये जावेंगे जब कि दूसरी व्यवस्था हो जायगी। यह जो व्यवस्था है वह अस्थाई व्यवस्था है; जो राजप्रमुख ने की है। यह अविश्वास का प्रस्ताव अस्पष्ट है। यदि हमारे विरोधी पक्ष के उपनेता राजप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते तो दूसरी बात थी। यह तो राजप्रमुख की व्यवस्था के विरुद्ध लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह मोशन जो रखा गया है उसे खारिज कर दिया जाय।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--माननीय अध्यक्ष, मुझे कुछ कहने का मौका दिया जावे।

जो कुछ बातें माननीय सदस्य की ओर से सदन के सामने रखी गई हैं उनके संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उनका इस सदन में यह कहना कि इस समय राजस्थान में राजप्रमुख का राज्य है, मैं यह समझता हूं कि केवल विरोध की दृष्टि से यह बात कही गई है; वह ठीक नहीं जंचती। राजप्रमुख तो हमारे प्रान्त के प्रमुख (हैड) हैं और इस समय भी मंत्री-मंडल बकायदा अपना काम कर रहा है। यह हो सकता है कि मौजूदा मंत्री-मंडल ने अस्तीफा दे दिया हो और हो सकता है कि इसी मंत्री-मंडल को राजप्रमुख ने काम करने के लिये अभी कह भी दिया हो; मगर जैसा अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि नये मंत्री-मंडल के लिये निमंत्रण भी उसी पार्टी को दिया है जिसका बहुमत है, ठीक है। तो हमारे दृष्टिकोण से जो असली स्थिति है उसमें वास्तविक रूप से कोई अंतर नहीं पडता क्योंकि इस समय भी कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री-मंडल है और जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया, नया मंत्री-मंडल जो बनने जा रहा है वह भी कांग्रेस की पार्टी का ही होगा। इसलिये आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें वास्तविक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

एक ओर बात मेरे माननीय मित्र ने कही कि जो प्रस्ताव अभी मैंने आपके सामने रखा है और जिसकी मैं इजाजत चाहता हूं वह एक तरह से इम्प्रेक्टिकेबल हो जावेगा जब दूसरी मिनिस्ट्री एक दो दिन के बाद बन जावेगी और फिर उस मिनिस्ट्री के खिलाफ भी एक अविश्वास का प्रस्ताव किसी सदस्य की तरफ से लाया जा सकता है। मैं यह कहूंगा कि अगर ऐसा प्रस्ताव हमारे विधान के अनुसार लाया जा सकता है तो लाया जा सकता है। मेरे ख्याल से इस प्रकार की दलील पर कि निकट भविष्य में ऐसा अन्य प्रस्ताव लाया जा सकता है और वर्तमान मिनिस्ट्री ने अस्तीफा दे दिया है, मेरे प्रस्ताव को मूव करने की इजाजत नहीं दी जावे; यह तो ठीक नहीं होगा। आगे क्या होने वाला है इसके लिये हाईपोथेटिकल वस्तुओं को ध्यान में रख कर हमें इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत न देना हमारे इस हाउस में जो प्रिविलेजेज हैं उन पर कुठाराघात करना होगा।

श्री अध्यक्ष:-There is no question of privilege. I have not given any ruling.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-मेरा निवेदन यह है कि हमें ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत मांगने का अधिकार है। हमारा यह अधिकार है कि हम यदि उचित समझें तो ऐसे प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत मांगें और प्रिविलेज से मेरा यही मतलब था और इसीलिये यह शब्द काम में लाया गया था। मेरा यह कदापि मतलब नहीं था और न है कि आपने इस प्रश्न पर कोई निर्णय दिया

है । मेरा निवेदन है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इसी प्रकार का प्रस्ताव तब भी लाया जा सकता है इसलिये मौजूदा अविश्वास के प्रस्ताव को मूव करने की इजाजत नहीं दी जाए, यह सर्वथा अनाधिकृत है। अगर इसको माना जावेगा तो मेरा यह मत है, रहा है और रहेगा कि हमारे वैधानिक अधिकारों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है।

श्री जयनारायण व्यास:–ओन ए पोइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर।

मेरे माननीय मित्र ने मेरी दोनों बातें गलत रूप से आपके सामने रखी हैं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि दूसरी मिनिस्ट्री बनेगी उसके खिलाफ भी दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैंने यह कहा कि फर्ज करलो कि इस मंत्री-मंडल के विरुद्ध जो प्रस्ताव है, स्वीकार भी हो जावे तो भी राजप्रमुख इस मंत्री–मंडल को यह कहेंगे कि जब तक दूसरा मंत्री-मंडल न बने तब तक इसी प्रकार काम करो। उस पर भी उस अर्से में और भी प्रस्ताव लाये जा सकते है। इस तरह उनका कोई अन्त नहीं होगा। उन्होंने मेरी आगे की बात सुनी नहीं। या तो उनके समझ में कुछ ठीक नहीं आई या उनके कानों ने उसे ठीक नहीं सुना।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–हो सकता है मेरे कानों में या मेरे दिमाग में कसर हो। मगर जो जवाब मैंने सदन के सामने दिया है वह दोनों बातों पर लागू होता है।

श्री जयनारायण व्यास:-मैंने यह कहा था कि यह राजप्रमुख की इच्छा है कि मौजूदा मंत्री-मंडल कुछ दिन काम चलाए। मंत्री-मंडल ने तो अपना अस्तीफा दे दिया है। अतः यह प्रस्ताव मंत्री-मंडल के विरुद्ध नहीं हो सकता। यह तो राजप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हो सकता है। ये दोनों बातें गलत रूप से आपके सामने रखने की कोशिश की गई है।

श्री गोपीलाल यादव:–ओन पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर।

एक सदस्य:–क्या किसी पोइन्ट आफ ऑर्डर पर डिसकशन हो सकता है ?

श्री गोपीलाल यादव:–अभी यह कहा गया है कि मंत्री-मंडल ने अस्तीफा दे दिया है। इस संबन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अस्तीफा इस कारण से दिया है कि हाउस उनके मंत्री-मंडल पर विश्वास नहीं करता। यदि इस कारण से दिया है तब तो उनका यह एतराज ठीक हो सकता है और अगर किसी दूसरे कारणों से या इस कारण से दिया हो कि लीडर दूसरा चुन लिया गया है तो हम उनके इस एतराज को मान नहीं सकते।

दूसरी बात उन्होंने अच्छी परपम्राओं की कही। इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि जिस गवर्नमेन्ट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आवे तो उस सरकार को कभी भी उसके बारे में एतराज नहीं उठाना चाहिये। उसको तो उल्टा यह कहना चाहिये कि हाउस अवश्य ऐसे प्रस्ताव को मूव करने की इजाजत दे, हमें स्वीकार है।

श्री टीकाराम पालीवाल:-विरोधी-दल के उप नेताने जो बातें कही हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जो एक दो बातें कहीं, उन्हें उन्होंने ठीक तौर से समझा नहीं है। वर्तमान सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया है और श्री राजप्रमुख ने वचन दिया है, विश्वास दिलाया है कि वह जल्दी से जल्दी त्याग-पत्र स्वीकार कर लेंगे।

उनको (विरोधी-दल के उपनेता को) आशंका यह है कि इस सरकार के त्याग करने पर दूसरी सरकार भी संभवत: उसी पार्टी की बने। उनके कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह पार्टी के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं। यह बात ठीक है कि सरकारें पार्टी के Support पर ही चलती हैं परन्तु अविश्वास का प्रस्ताव किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लाया जाता। यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं कि इस सरकार ने किन किन कारणों से त्याग-पत्र दिया है; किन्हीं भी कारणों से दिया हो पर उसने आज से कई दिन पहले त्याग-पत्र दे दिया है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह इजाजत मांगी जा रही है वह काम तो यह सरकार पहले ही कर चुकी है। अब यह आशंका करना कि श्री राजप्रमुख इसी सरकार को काम चलाने के लिए बनाए रखें तो मैं इस हाउस को सूचित कर देना चाहता हूं कि श्री राजप्रमुख ने स्वीकार किया है, विश्वास दिलाया है कि वह त्याग-पत्र को बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे और यह वर्तमान सरकार भी नहीं चाहती कि वह अब एक क्षण के लिए भी काम करे।

शायद विरोधी दल की यह मान्यता हो कि इस हाउस में आज उनका बहुमत है तो उनको चाहिए कि वे श्री राजप्रमुख को अपनी स्थिति बतायें। इन परिस्थितियों में अगर इस सरकार की एक क्षण के लिए भी बने रहने की इच्छा होती तो वैसी सूरत में इस तरह के प्रस्ताव का लाया जाना किसी कदर उचित कहा जा सकता था। पर जब अब एक क्षण के लिए भी इस सरकार की बने रहने की इच्छा नहीं है तो इस तरह के प्रस्ताव के रखने की इजाजत चाहना बिल्कुल निरर्थक है। एक बात बताऊं मैं आपको कि जब तक इस सरकार की इच्छा रही, बने रहने की, तो मेरे मित्रों को याद होगा कि पिछले सेशन में इसी तरह की बात पैदा हुई कि इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाय; उस वक्त मैंने चैलेंज किया था पर उस वक्त वे पीछे हट गए।

आज जब कि वर्तमान सरकार स्वयं Office lay down करने को तैयार है-तैयार ही नहीं वह त्याग-पत्र दे चुकी है; तो ऐसी सूरत में जब की वह सरकार जा रही है तो जाते जाते उसकी Insult करना; जिस सरकार की वह कल तक परसों तक सराहना करते रहे हैं तो आज जब उनको यह मालूम हो गया कि, वह सरकार जा रही है तो जाते २ उसको यह कहा जाय कि ये लेओ; जाते २ यह एक जूता भी लेते जावो; तो यह बात कहां तक इन्सानियत की होगी? हम तो जाते हुए पीठ पर इस जूते को भी सहेंगे पर House गंभीरता से सोचेगा कि जो सरकार जा रही है उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कहां तक ठीक होगा।

ऐसी बात नहीं है कि हम इससे घबरा रहे हों । जब आप और हम इस प्रजातांत्रिक शासन के अखाड़े में उतरे हैं तो यह चीजें तो चलती ही रहेंगी । आज आप करते हैं कल दूसरा करेगा । यह तो अखाड़ेबाजी है; जिनको ऐसी अखाड़ेबाजी नहीं करनी होगी वे शासन से या राजनैतिक अखाड़ेबाजी से हट जायेंगे।

तो बात यह है कि जो चीज आप चाहते हैं वही हो रही है । ऐसा होते हुए भी जाते जाते insult करना, अगर आप अच्छी चीज समझते हैं और यदि यह सुन्दर चीज है, तो आप करिये ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—श्री अध्यक्ष महोदय मैं इसके उत्तर में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष:--First hear the Advocate General.

श्री के. एस. हजेला. (एडवोकेट जनरल): —Mr. Speaker, Sir, we are here in an unprecedented position. So far as No-confidence motions are concerned, they are always supposed to be directed against the existing Government and that means, in the present case, against a Government which is not a stable Government but which is only Caretaker Government.

The difficulty arises today on account of the fact, as is well known to the Hon'ble Member who has moved the motion, that the Ministry has already resigned. The only question that the Hon'ble Member desires to pose appears to be that there is some sort of feeling in the mind of the Hon'ble Member that Shri Rajpramukh will merely change the personnel of the Ministry and not call upon the majority party to form Government. A No-confidence motion only means that the party in power, i. e., the Government in power is no longer in the majority and that it has lost the confidence of the House.

Now, if that is the fear that the Rajpramukh will do away with all constitutional conventions and call upon the minority party to form the Government, that is to presume too much. We can only presume, perhaps the Hon'ble Member is not sure about the position as to what is the strength of his own party, and that he desires to ascertain it by a trial of strength on this occasion. If on the other hand they are sure that they have got a clear majority on their side, there should have been no difficulty in their approaching the Rajpramukh to apprise him of the position that the party that had resigned was no longer in the majority and that not only a reshuffle in the personnel of the Ministry was needed but a change in the entire Governmental structure, so far as the party alignments are concerned, had become necessary.

Therefore, my submission is that even if it be assumed that the motion is in order, a particular date within the next ten days will have to be fixed by the Hon'ble Speaker for the discussion of this motion. What will be the position, if in the meantime, the Rajpramukh is satisfied that the party which has tabled the No-confidence motion is in majority and thus calls upon the Leader of the majority party to form his Government before the date fixed for the discussion of the No-confidence motion. When such Government is formed, the Hon'ble Member who has moved the No-confidence motion will be facing a piquant situation. If he withdraws the motion, which in the circumstances, he will have to, the House will indirectly be affirming its confidence in the Government which had resigned and if on the other hand he persists in forcing his motion to an issue, the motion will be deemed to be a motion of No-confidence against the then existing Government and not against the Government which had already ceased to exist even though the motion was originally directed against that Government.

This No-confidence motion is, therefore, a motion not essentially for the purpose of removing the present Ministry which has already resigned but is obviously intended to serve another purpose of indirectly suggesting to the Rajpramukh that the party in power has lost the confidence of the house and that immediate steps be taken for changing the Government not merely by changing its presonnel but by forming it from the party other than the party of the present Government. If this is the position and the fear is that the change in the Government would only imply change in its personnel and not an invitation to the majority party to form new Government, the proper procedure would be for the Leader of the Majority party to apprise the Rajpramukh about the correct relative position of the parties in the House. The Rajpramukh will then call upon the majority party to form the Government without needing any indication or intimation of the relative strength of the parties in this House through a motion of No-confidence and you may then submit to the Rajpramukh that you command a substantial majority in the House. This is the real position in respect of this motion and that is what should be done.

There should then be, no reasons to imagine that inspite of all this, the Rajpramukh will still call upon the party which has resigned to form new Government by merely affecting a change in its personnel. Therefore, even if we presume that this motion is in order, it cannot be strictly speaking brought against the Government which has already resigned, so far as this House is concerned. Even if the No-confidence motion is carried, what effect will this have on the formation of a stable Govern-

ment ? The Government of the day may virtually have to submit its resignation for the second time before the formal acceptance of its former resignation and then again a second care-taker Government may be formed within a day or two which may have to continue for some time till you can assess the party position again and intimate the Rajpramukh about it, irrespective of the fact that a No-confidence motion has been passed against a Government which had already resigned its office.

Therefore, this motion is not only infructuous and innocuous but at the same time, is perhaps not in confirmity with the procedure and practice of the House and undoubtedly, as I have already submitted, there is no precedent for it. If there are any precedents anywhere, it is for the Hon'ble Member to point out and I will gladly bow. So long there is no precedent for it, it cannot be said to be a proper legislative procedure for the Deputy Leader of the Opposition to move the motion of No-confidence in a non-existing Government presumably with a view to prejudice the issue of the formation of a new Government.

In these words, I have tried to explain the position that has arisen before this House and I do hope that the Hon'ble Speaker will consider that this motion is not in order as it is directed against a Government which, of course, does not exist, except as a Care-taker Government which has been brought only for the purpose of carrying on the day to day administration and no exception can be taken to this action of the Rajpramukh. The Hon'ble Member will see that even the barest minority party in the Assembly may, for a short time be called upon to act as a care-taker Government till the relative strength of the parties in the House is clearly defined to enable the Rajpramukh to call upon the Leader of the majority party to form a stable Government. It would, therefore, not be proper and appropriate that a No-confidence motion, which lacks precedent and is so infructuous and innocuous may still be considered to be in order. That is the submission that I have to make to you, Sir.

श्री अध्यक्ष:–विशेष विवरण में न जाकर मेरी यह मान्यता है कि यह मोशन इन ऑर्डर है ।

(करतल ध्वनि)

मोशन यह है:–"In the opinion of this House, the Ministry has lost the confidence of the House"

जो इस प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा देने के पक्ष में हों वे सदस्य खड़े हो जायं ।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:—मोशन मूव करने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

(करतल ध्वनि)

श्री एच. के. व्यास:--On a point of information, Sir. According to . .

श्री अध्यक्ष:--You will have the information—

(विराम)

श्री अध्यक्ष:—१७ अक्टूबर, १९५२ शुक्रवार का दिन इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए मुकर्रर किया जाता है ।

Raja Man Singh:—On a point of information, Sir. We hope that that particular day will not be declared a holiday later on.

Mr. Speaker.:—It is not a holiday today, i.e., it has not been declared a holiday today. We presume that it will not be declared a holiday.

Shri Tika Ram Paliwal.:—Mr. Speaker, Sir. I have another submission to make. It was the intention of this Government not to carry on the administration for a minute farther than this. It is required to do so. Therefore this Government tendered its resignation on the 8th and the Rajpramukh has asked this Government to carry on till a date he is able to form a new Government. It is only a matter of the time he takes. That may be in a day or two and the Government has to carry on till he is able to form a new Government. In view of the insistence of the Opposition for the introduction of this motion, and in view of your ruling, Sir, admitting that motion, I and my colleagues do not consider it necessary to proceed farther with further Government business. So, in the circumstances, we have got no further Government Bills or Government business to transact in this House. You may adjourn the House.

श्री जसवन्तसिंह:–माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य–मंत्री ने फरमाया है उस पर हम भी इत्तफाक करते हैं । आप (मन्त्री–मन्डल) राजकीय कार्य विधान सभा में नहीं करना चाहते; हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह हाउस १७ तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाय; हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष:—The House is adjourned till the 17th of October, 1952, 8.30 A. M.

(सभा की कार्यवाही ९.२५ पर समाप्त हुई और सदन की बैठक दिनांक १७ अक्टूबर, १९५२, के ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हो गई) ।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर

सभा भवन,
जयपुर
दिनांक–१० अक्टूबर, १९५२.

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न

(सदन की मेज पर रखे गये)

25. (37/US.) Shri Ganga Singh. M. L. A.:—Will the Chief Minister be pleased to state:-

(1) How many officers of the rank of Tehsildars and above are posted in their own districts?

(2) How many officers are continuing in the Secretariat for above 3 years?

(3) Is the Government aware of instances in which some officers have never been posted out of Secretariat or the Capital? What is the number of such officers?

(4) Will the Government take steps to post such officers out of the Capital in the District Administration?

Answer:—49 Officers of the Rajasthan Administrative Service are at present posted to the districts of their birth. The information regarding Tehsildars in this respect is not available as the posting of Tehsildars is done by the Board of Revenue. The information is being obtained from the Board.

(2) Seven.

(3) Yes. Their number is six.

(4) This will be done as and when exigencies of public service so require.

26. (38/U.S.) Shri Ganga Singh. M.L.A. Division No. 41:—Will the Chief Minister be pleased to state:-

(1) How many cases of bribery and other corrupt practices among services were detected in the last 2 years?

(2) In how many cases the delinquents were punished and in what manners?

Reply.

(1) During the last 2 years, about 9 red-handed cases were detected by the Anti Corruption Branch and enquiries made in about 160 complaints, received.

(2) Out of 9 red-handed cases given in No. 1 above, 7 cases were challaned in the various Courts and are still pending trial in the court concerned. In 2 cases Departmental enquiries were ordered to be taken against defaulters, out of which one is pending decision in the Department concerned and in the other the defaulter was acquitted of the charges levelled against him.

Out of 160 complaints, about 74 were filed as on enquiry these were found either fictitious, baseless or otherwise, 20 complaints were proved and Departmental action recommended. In 2 cases the defaulters were warned and transferred and one ended in dismissal, 2 ended in stoppage of grade increments and one ended in the degradation of the official at fault and no information is available regarding the action taken in 14 cases by various departments. The rest of the complaints are pending enquiry.

27. (39/U.S.) **Shri Ganga Singh. M.L.A.**, Division No. 41:— Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) How many Government servants were found indulging in corrupt practices during the last General Elections?

(2) How many of them were punished and in what manner?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

———